राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प्रेषित:- समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

क्रमांक:- प.6(19)राज-6/92/14   जयपुर, दिनांक:- 7 - [illegible]

परिपत्र

विषय:- नियम विरुद्ध किये गये भू-आवंटनों में कार्यवाही करने बाबत ।

राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम, 1970 के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन का प्रावधान है । भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशासन गांवों की ओर , समस्या समाधान, जनअभियोग निराकरण आदि अभियान चलाये जाकर इस कार्य में गति लाई जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी, आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से भूमिहीन व्यक्तियों को भू-आवंटन करते है । फिर भी राज्य सरकार को किए गये आवंटनों के विरुद्ध शिकायते प्राप्त होती रहती है ।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि भूमि आवंटन में प्रथम दृष्टया गलत आवंटन की जानकारी प्राप्त होने अथवा लिखित शिकायत प्राप्त होने पर भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत स्वः विवेक (   ) अथवा अधिनस्थ अधिकारियों से टिप्पणी/प्रस्ताव लेकर आवंटन तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही की जावे, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किए गये प्रस्ताव की पालना तुरन्त प्रभाव से रोका जावे ताकि गलत आवंटन में कब्जा देने अथवा पट्टा देने की कार्यवाही पूर्ण न हो सके ।

उपरोक्त विषय अधिनस्त अधिकारियों सावचेत करें एवं अनियमित आवंटन के मामलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(शिव कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

शासन उप सचिव

मनोज/4999